bUe-12 C

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

Annexure - A

क्रमांक प.(14) एफसीए / उवसं / 2020 / 6594 दिनांकः– 28-10-2020

निमित्त,
वरिष्ठ अधिशासी अभियंता,
NPCIL बांसवाड़ा।

विषय :– Mahi Banswara Atomic power project (MBRAPP)- 1to4 की स्थापना हेतु 100.05 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विषयांकित प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई 100.05 हेक्टेयर वन भूमि के बदले में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि (NFL) आरक्षण के बाबत जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक 1349–54 दिनांक 03.04.2017, 1104 दिनांक 21.12.2018 एवं 1185 दिनांक 19.11.2019 के द्वारा ग्राम भुराकुआँ तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा के विभिन्न खसराओं में कुल 102.783 हेक्टेयर गैर वन भूमि वन विभाग के लिए आरक्षित की गई गैर वन भूमि का सहायक वन संरक्षक, कुशलगढ़ से मौका निरीक्षण करवाया गया है।

सहायक वन संरक्षक, कुशलगढ़ के पत्र दिनांक 02.09.2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट (छाया–प्रति संलग्न है) के अनुसार जिला कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा आरक्षित की गई उक्त गैर वन भूमि (NFL) विभिन्न कारणों से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं पाये जाने से स्वीकार्य नहीं है।

अतः उक्त प्रकरण के निस्तारण में हो रहे अनावश्यक विलम्ब को देखते हुए प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित कि गयी 100.05 हेक्टेयर वन भूमि के दुगुने अर्थात 200.10 हेक्टेयर अवनत परिभ्रांषित वन भूमि (DFL) पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये रेंज घाटोल के अंतर्गत वन खंड जगमेर जोगीमाल की रक्षित वन भूमि चिन्हित करवा ली गयी है एवं इसकी kml file Email द्वारा आपको पहले ही प्रेषित की जा चुकी है।

अतः कृपया तदनुसार प्रस्ताव में आपके स्तर से अपेक्षित अन्य कार्यवाही पूर्ण करावें एवं प्रस्ताव के प्रपत्र–1 को ऑनलाइन संशोधित करवा कर इसकी Hard copy 5 प्रतियों में इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करावें।

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक प.(14) एफसीए / उवसं / 2020 / दिनांकः–

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, घाटोल को उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी kml file के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आपके द्वारा चिन्हित की गयी वन भूमि की जमाबन्दी, मौका पर्चा, पॉलीगन, जी.पी.एस. कॉर्डिनेट्स की डिटेल प्रस्तुत करें साथ ही राजस्व नक्शे में मार्क कर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना संलग्न प्रपत्र में तैयार कर प्रस्तुत करें।

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

D:\THE MOON\Mayank\NPCIL\NPCIL.docx

निमित्,

सहायक वन संरक्षक,
कुशलगढ ।

विषयः– Mahi Banswara Atomic power project (MBRAPP)-1to4 की स्थापना हेतु 100.05 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण के बाबत।

संदर्भः– कार्यालय उप वन संरक्षक बांसवाडा के पत्र क्रमांक **4475-77** दिनांक 06.08.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है Mahi Banswara Atomic power project (MBRAPP)-1to4 की स्थापना हेतु 100.05 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में ग्राम भुराकुऑ तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा के विभिन्न खसराओं में कुल 102.783 हेक्टयर गैर वन भूमि वन विभाग के लिए आरक्षित की गई जिसका मौका निरीक्षण दिनांक 7.08.2020 को सहायक वन संरक्षक,कुशलग्ढ,क्षैत्रीय वन अधिकारी,डूंगरा,सर्वेयर वन मण्डल,बांसवाडा,मुख्य अभियन्ता, NPCIL, सहायक अभियन्ता, NPCIL,भू–अभिलेख निरीक्षक,सज्जनगढ,पटवारी हल्का भुराकुऑ के साथ किया गया जिसमें राजस्व नक्षे के अनुसार उक्त भूमि ग्रम भुराकुऑ की होकर राजस्व भूमि है जिसके दोनों ओर वन विभाग है एक तरफ वनखण्ड कॉचला ताम्बेसरा का ग्रम टिडियादेव तों दूसरी तरफ वनखण्ड भुराकुऑ ईटाला पार्ट ए का ग्रम भुराकुऑ है। राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त भूमि वर्तमान में ग्राम भुराकुऑ की राजस्व भूमि है जो गैर वन भूमि में वन विभाग के लिए आरक्षित की गई है।परन्तु उक्त भूमि की स्थिति सन्देहास्पद होने के कारण दिनांक 14.08.2020 को पटवारी टिडियादेव के साथ मौका निरिक्षण करने पर उक्त भूमि ग्रम टिडियादेव की होकर वन भूमि होना पाया गया है।ग्रम टिडियादेव एवं ग्रम भूराकुऑ के नक्शों मे विरोधाभास होने के कारण उक्त भूमि की स्थिति का पता बिना संयुक्त सर्वे के सम्भव नही है।इसलिए संयुक्त सर्वे के पश्चात् ही उक्त भूमि की वैधानिक स्थिति का पता लग सकेगा।वनखण्डों के नक्शों के अनुसार ग्रम टिडियादेव एवं ग्रम भूराकुऑ कर सीमा पर वन विभाग की कॉमन लाईन है जिसमें एक तरफ वनखण्ड कॉचला ताम्बेसरा का ग्रम टिडियादेव तों दूसरी तरफ वनखण्ड भुराकुऑ ईटाला पार्ट ए का ग्रम भुराकुऑ है एवं इसके बीच में कोई राजस्व भूमि नही है।

भवदीय,
31/8/2020
(तुषार सिंह चौहान)
सर्वेयर उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

निमित्त,

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा.

विषयः— Mahi Banswara Atomic Power Project (MBRAPP)-1 ot 4 की स्थापना हेतु 100.05 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण बाबत्।

संदर्भः— आपका पत्र क्रमांक—प.(14)एफ.सी.ए./उवसं/2020/4475—77, दिनांक—06.08.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयान्तर्गत प्रोजेक्ट हेतु 100.05 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के बदले, ग्राम भूराकुआँ, तहसील—सज्जनगढ़ के विभिन्न खसराओं की आरक्षित गैर वन भूमि की कुल 102.783 हैक्टर के निरीक्षण हेतु मुख्य अभियन्ता NPCIL, सहायक अभियन्ता NPCIL, भू—अभिलेख निरीक्षक सज्जनगढ़, पटवारी हल्का भूराकुआँ, क्षेत्रीय वन अधिकारी डूंगरा (मु0 सज्जनगढ़), एवं सर्वेयर कार्यालय हाजा उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा के साथ मौके पर उपस्थित होकर प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम टिडिया देव एवं ग्राम भूराकुआँ के ब्लॉक फाईल के नक्शों को देखने पर दोनों ग्रामों के बीच कोई गैर वन भूमि नहीं होना पाया गया, जबकि पटवारी हल्का भूराकुआँ द्वारा ग्राम टिडियादेव की भूमि (ब्लॉक फाईल के मुताबिक) को ग्राम भूराकुआँ की भूमि बता रहा था। उस दिन पटवार हल्का टिडियादेव के पटवारी का मौके पर मौजूद नहीं होने से भूमि की स्थिति का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सका। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सर्वेयर कार्यालय हाजा एवं क्षेत्रीय डूंगरा को निर्देश दिया गया कि पटवार हल्का टिडियादेव एवं पटवार हल्का भूराकुआँ के साथ पुनः मौके का निरीक्षण राजस्व नक्शा एवं ब्लॉक फाईल के मुताबिक किया जावे। तत्पश्चात् सर्वेयर कार्यालय हाजा द्वारा दिनांक—14.08.2020 को पटवार हल्का टिडियादेव एवं पटवार हल्का भूराकुआँ के साथ राजस्व नक्शे एवं ब्लॉक फाईल को लेकर संदर्भित भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त सर्वेयर कार्यालय हाजा द्वारा दिनांक—31.08.2020 को निरीक्षण रिपोर्ट पेश किया गया। सर्वेयर की रिपोर्ट के मुताबिक नाका सज्जनगढ़ अधीन वनखण्ड भूराकुआँ—ईटाला एवं नाका ताम्बेसरा अधीन वनखण्ड काचला—ताम्बेसरा के ग्राम टिडियादेव के बीच जिस भूमि को राजस्व विभाग द्वारा गैर वन भूमि बताया जा रहा है, वह मौके पर है ही नहीं। पूर्व से ही ग्राम टिडियादेव एवं ग्राम भूराकुआँ के बीच सीमा विवाद चला आ रहा है। दोनों ग्रामों की सीमाऐं एक दूसरे की ओर अध्यारोपित (overlap) हैं।

अतः विषयान्तर्गत प्रोजेक्ट के लिए जो गैर वन भूमि आरक्षित की गई है, उनमें से अधिकांश गैर भूमि मौके पर है ही नहीं तथा ग्राम टिडियादेव एवं ग्राम भूराकुआँ के दोनों को वन भूमि है। स्थिति स्पष्ट करने के लिए राजस्व विभाग की टीम एवं वन विभाग की सेटेलमेंट की टीम द्वारा ज्वाईन्ट सर्वे किया जाना आवश्यक है। रिपोर्ट श्रीमान् के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित् है।

भवदीय,

02/09/2020

(शैदा हुसैन)
सहायक वन संरक्षक,
कुशलगढ़

संलग्न— सर्वेयंर की मूल रिपोर्ट।

FCA

02/09/2020